न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 147 / 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025 / 250

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

घेवरसिंह पुत्र आसुसिंह

जाति राजपुरोहित

निवासी सरवड़ी

तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा

1.अनोपसिंह पुत्र विरधसिंह

2.चांदसिंह पुत्र मालसिंह

3.डूंगरसिंह पुत्र विरधसिंह

4.तारोदेवी पुत्री भीमसिंह

5.देवीसिंह पुत्र प्रभुसिंह

6.नकत कंवर पत्नी शेरसिंह

7.नारायणसिंह पुत्र जसुसिंह

8.नारायणीदेवी पुत्री भीमसिंह

9.पुखराजसिंह पुत्र भीमसिंह

10.पपुदेवी पत्नी भीमसिंह

11.प्रतापसिंह पुत्र जोगसिंह

12.इन्द्रसिंह पुत्र हरचन्द्रसिंह

13.प्रहलादसिंह पुत्र हेमसिंह

14.भैरूसिंह पुत्र शंकरसिंह

15.भंवरसिंह पुत्र जसुसिंह

16.भवानीसिंह पुत्र शंकरसिंह

17.महावीरसिंह पुत्र शंकरसिंह

18.माधुसिंह पुत्र शेरसिंह

19.माधुसिंह पुत्र गिरधारीसिंह

20.मोतीसिंह पुत्र भीमसिंह

21.मोहनसिंह पुत्र गिरधारीसिंह

22.मोहनसिंह पुत्र बादरसिंह

23.उमेदसिंह पुत्र पृथ्वीराजसिंह

24.रूपसिंह पुत्र भीमसिंह के वारिसान

24 / 1 पवन कंवर पत्नी रूपसिंह

25.रसाल कंवर पत्नी विरधसिंह

26.रामचन्द्रसिंह पुत्र गिरधारीसिंह

27.रामसिंह पुत्र मालसिंह

28.रावलसिंह पुत्र शेरसिंह

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन संख्या 147/2023
भैरूसिंह बनाम अनोपसिंह वगैरा

29.लक्ष्मीदेवी पुत्री भीमसिंह

30.लखसिंह पुत्र प्रभुसिंह

31.श्यामसिंह पुत्र विरधसिंह

32.शांतीदेवी पुत्री भीमसिंह

33.शिवसिंह पुत्र गिरधारीसिंह

34.खुशालसिंह पुत्र शंकरसिंह

35.सुगनादेवी पुत्री भीमसिंह

36.सत्यनारायणसिंह पुत्र प्रभुसिंह

37.हड़मानसिंह पुत्र बादरसिंह

38.हरीसिंह पुत्र विरधसिंह

39.गुलाबसिंह पुत्र विरधसिंह

40.गीतादेवी पत्नी शंकरसिंह

41.गोरधनसिंह पुत्र जोगसिंह के वारिसान

41/1. मांगीलाल पुत्र गोरधनसिंह

41/2.विशनसिंह पुत्र गोरधनसिंह

41/3.लखसिंह पुत्र गोरधनसिंह

41/4.नारायणसिंह पुत्र गोरधनसिंह

42.घेवरसिंह पुत्र विरधसिंह

43.चम्पा पत्नी हरचन्द्रसिंह

44.नैनीकंवर पत्नी घेवरसिंह

45.मोहनसिंह पुत्र बादरसिंह

46.हनुमानसिंह पुत्र बादरसिंह

जाति राजपुरोहित निवासी सरवड़ी

तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा

47.चनणादेवी पत्नी फोजाराम

जाति मेगवाल निवासी सरवड़ी

तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा

48.आदूदास पुत्र मथरदास

जाति साद निवासी सरवड़ी

तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा

49.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार

कल्याणपुर

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन संख्या 147/2025
भैरसिंह बनाम अनोपसिंह वगैरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री ओमसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थी

2.विप्रार्थीगण एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 25.08.2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सरवड़ी पटवार हल्का सरवड़ी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 973/112 क्षेत्रफल 5.1476 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम सरवड़ी पटवार हल्का सरवड़ी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 973/112 क्षेत्रफल 5.1476 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सरवड़ी पटवार हल्का सरवड़ी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 973/112 क्षेत्रफल 5.1476 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सरवड़ी पटवार हल्का सरवड़ी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 973/112 क्षेत्रफल 5.1476 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

4.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम सरवड़ी पटवार हल्का सरवड़ी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 973/112 क्षेत्रफल 5.1476 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी प्रथम द्रष्यता हकदार प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–धारा 128 सीमा विवाद–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 21.5.2024 की प्रमाणित प्रति अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम सरवड़ी पटवार हल्का सरवड़ी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 973/112 क्षेत्रफल 5.1476 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए विधिनुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देशित किया जाता है।

25/08/2025

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 25/8/2025 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

25/08/2025

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा